भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3812
दिनांक 16 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

पीएसयू का सुदृढ़ीकरण

3812. डॉ० रमापति राम त्रिपाठी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण और रणनीतिक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) को सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पीएसयू को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का विचार लाभ कमाने वाले पीएसयू का विनिवेश रोकने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में नीतिगत दिशा-निर्देश क्या हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविन्द गणपत सावंत)

(क) और (ख): दिनांक 31मार्च, 2018 तक देश में 339 केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम थे इनमें से अधिकतर कोयला, खनन, तेल, ऊर्जा, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेल, परिवहन आदि जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्रों सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचालनरत हैं। विगत वर्षों में सरकार ने केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सुदृढ़ीकरण के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें (i) महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न स्कीमों को आरंभ करना जिनमें ऐसे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों को वित्तीय और प्रचालनात्मक शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। (ii) समझौता ज्ञापन प्रणाली के माध्यम से कार्य निष्पादन सुधार पर जोर देना। (iii) केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों का व्यवसायीकरण (iv) केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को सूचीबद्ध करना आदि शामिल हैं।

(ग)और (घ): सरकार ने पूंजीगत व्यय, संयुक्त/सहायक उद्यमों में निवेश, तकनीकी संयुक्त उद्यम बनाना या रणनीतिक गठबंधन करना, ऋण उगाही आदि जैसे क्षेत्रों में महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों को पहले से ही वित्तीय और प्रचालनात्मक शक्तियां प्रदान की हुई हैं। वर्तमान में, इन सीपीएसईज को प्रदान की गई शक्तियों को और बढाने के संबंध में लोक उद्यम विभाग के अतंर्गत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ड.) और (च) : सरकार आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव,बिक्री के लिए प्रस्ताव,पुन: खरीद, रणनीतिक विनिवेश , विलय और अधिप्रापण तथा विनिमय व्यापार निधि सहित विनिवेश के विविध साधनों/ माध्यमों का उपयोग कर रही है । रणनीतिक विनिवेश के लिए सीपीएसईज़ की पहचान करने हेतु नीति आयोग को अधिदेशित किया गया है। नीति आयोग ने इस उद्देश्य के लिए सीपीएसईज़ को (क) राष्ट्रीय सुरक्षा (ख) सुगम स्वायत्तता,और (ग) बाजार अपूर्णता और सार्वजनिक उद्देश्य के आधार पर ''उच्च प्राथमिकता'' और ''कम प्राथमिकता'' में वर्गीकृत किया है। ''कम प्राथमिकता'' के अंतर्गत आने वाले सीपीएसईज़ को रणनीतिक विनिवेश के लिए शामिल किया गया है । इस उद्देश्य के लिए सीपीएसईज की लाभकारिता संबद्ध मानदण्ड नहीं है ।